"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2016— अश्विन 30, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2016 — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (1991 का सं. 25) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित मोटरयानों के निम्नलिखित प्रवर्गों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, मोटरयानों पर देय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

सरल क्र.	मोटरयानों की श्रेणी	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
	मध्यप्रदेश के नामितियों के प्रक्रम वाहन, संविदा वाहन, माल वाहन एवं शैक्षणिक संस्थानों की बसें, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुक्त जोन क्षेत्र में नियमित अनुज्ञापत्र अथवा अस्थायी अनुज्ञापत्र पर संचालित हो रहे हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य एवं मध्यप्रदेश राज्य के मध्य द्विपक्षीय परिवहन करार में तय किया गया है और जिनके संबंध में मध्यप्रदेश राज्य में कर का भुगतान कर दिया गया है-	करार के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण छूट
(एक)	छत्तीसगढ़ राज्य में डोंगरगढ़ नगर - लांजी अथवा साल्हेटेकरी से प्रवेश करने वाले मध्यप्रदेश के मोटर वाहन.	
(दो)	छत्तीसगढ़ राज्य में कबीर चबूतरा ग्राम-अमरकंटक अथवा डिंडोरी से प्रवेश करने वाले मध्यप्रदेश के मोटर वाहन.	

शर्त - यह छूट, नया करार किये जाने अथवा विद्यमान करार के निरस्त किये जाने तक प्रवृत्त रहेगी.

No. F 5-8/VIII/Trans./2016.— In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the following categories of motor vehicles as mentioned Column (2) of the Schedule mentioned below, to the extent specified in Column (3) from payment of the tax payable on motor vehicles under Section 3 of the said Act, namely :-

SCHEDULE

Serial No. (1)	Category of motor vehicles (2)	Extent of Exemption (3)
	Stage Carriage, Contract Carriage, Goods Vehicle and buses for Educational Institutions of the nominees of Madhya Pradesh, plying on regular permits or temporary permits in the Free Zone area of the State of Chhattisgarh, as agreed in bilateral Transport Agreement between State of Chhattisgarh and State of Madhya Pradesh and in respect of which tax has been paid in the State of Madhya Pradesh -	Total exemption as per the provisions of the Agreement
(i)	Dongargarh Town in the State of Chhattisgarh - Motor vehicles of Madhya Pradesh coming from Lanji or Salhetekari.	
(ii)	Kabir Chabutra Village in the State of Chhattisgarh - Motor vehicles of Madhya Pradesh coming from Amarkantak or Dindori.	

Condition - This exemption shall remain in force till such time a new agreement is arrived at or the existing one is rescinded.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.